



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 13.08.2022

थाना रमाला पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सन्नी पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत की ग्राम किरठल में स्थित रिहायसी भूमि 403.44 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 65.30 लाख रूपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 13.08.2022 को थाना रमाला पुलिस द्वारा थाना रमाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 136/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सन्नी पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत की ग्राम किरठल में स्थित रिहायसी भूमि 403.44 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 65.30 लाख रूपये है को कुर्क/जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी बडौत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। अभियुक्त सन्नी शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, इसके विरुद्ध लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट आदि के



करीब 09 अभियोग दर्ज है।

अभियुक्त सन्नी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास: -

- 1-मु0अ0सं0 177/21 धारा 392/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 204/21 धारा 392/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 205/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 364/21 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 459/21 धारा 379 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
- 6-मु0असं0 719/20 धारा 279,337,338 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0सं0 373/20 धारा 411,414,420 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 8-मु0अ0सं0 374/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 9-मु0अ0सं0 136/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.08.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 389/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के ईनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व गैंगस्टर/वांछित हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 389/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये



के इनामी अभियुक्त सुरेश को गिरफ्तार किया गया है ।

नोट:- अभियुक्त सुरेश की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सुरेश पुत्र श्रीपाल निवासी महावीर वाली गली कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 140/22 धारा 3/4/13 जुआ अधिनियम, थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 389/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 267/21 धारा 13 जुआ अधिनियम, थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार कोतवाली बागपत ।

2-प्रभारी उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह पलावत एसओजी बागपत ।

3- का0 568 अरूण एसओजी बागपत ।

4-का0 375 मोनू एसओजी बागपत ।

5-का0 960 अमित कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 13.08.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 200/2022 धारा 498ए/323/307 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.08.2022 को थाना दोघट पर वादिनी श्रीमती चाँदनी पत्नी आस मौहम्मद निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके ससुरालीजनों अभियुक्त 1- आस मौहम्मद पुत्र फैमू 2- कामिल पुत्र कालू 3- बल्ली पुत्र फैमू 4- सज्जू पत्नी फैमू निवासीगण ग्राम निरपुडा थाना दोघट



जनपद बागपत के द्वारा वादिनी को प्रताडित किया व जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डो से मार मारपीट की गयी । इस सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 200/2022 धारा 498ए/323/307 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 200/2022 धारा 498ए/323/307 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- आस मौहम्मद पुत्र फैमू निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना दोघट

2- का0 492 अनुज कुमार थाना दोघट



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनाँक 13.08.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 214/22 धारा 363/376D/323/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के 214/22 धारा 363/376डी/323/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना रमाला पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मोहित पुत्र बालेश निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री सुनहरा सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2- का0 180 संजू थाना रमाला जनपद बागपत ।

3- का0 621 प्रदीप कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 13.08.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अमर राणा पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-अनिल पुत्र रोहताश निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सि0अहीर
- 2-है0का0 253 सुखबीर सिंह थाना सि0अहीर
- 3-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सि0अहीर